पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर

(मध्य प्रदेश सोसायटी एक्ट 1973 के तहत)

दीक्षा भवन,गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.) 462023

0755.2588350, 2602033.36; **Ext.**259,260,261 वेबसाइट portal.mpcz.in

क्रमांक / निदेशक / पी.डी.टी.सी. / 1161 भोपाल दिनांक : 30/11/22

विज्ञप्ति

स्नातक एवं डिप्लोमा / तकनीकी अप्रेंटिस प्रशिक्षु के नियोजन बाबत्

पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल का एक स्वशासी प्रशिक्षण केन्द्र है। पी.डी.टी.सी. के द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में शासकीय मान्यता प्राप्त संस्थान अथवा पालीटेक्निक कॉलेजों से स्नातक अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारों से एक वर्ष के अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रारुप में आवेदन आमंत्रित किया जाता है:-

क्र.	पाठ्यक्रम का विवरण	स्नातक अप्रेंटिस (शिष्यावृत्ति रु. 9000 / -प्रतिमाह)					डिप्लोमा / तकनीकी अप्रेंटिस (शिष्यावृत्ति रु. 8000 / -प्रतिमाह)					कुल योग
		सामान्य	अ. पि.व.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	सामान्य	अ. पि.व.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	कुल	
1	सिविल	1	0	1	1	3	0	0	0	1	1	4
2	इलेक्ट्रिकल्स / इलेक्ट्रिकल्स व इलेक्ट्रोनिक्स	14	3	3	4	24	4	1	4	2	11	35
3	आई.टी.	2	0	1	0	3	—					3
	योग	17	3	5	5	30	4	1	4	3	12	42

1. **पात्रता के मापदंड:**

(अ) **अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता:**

स्नातक अप्रेंटिस – विद्युत यांत्रिकी / सिविल यांत्रिकी / आई.टी. / कम्प्यूटर साईस / लेक्ट्रनिक्स / टेलिकम्यूनिकेशन में वर्ष 2021 या इसके पश्चात स्नातक।

तकनीकी अप्रेंटिस – विद्युत यांत्रिकी / सिविल यांत्रिकी में वर्ष 2021 अथवा इसके पश्चात डिप्लोमा।

(ब) **आरक्षण एवं आयु में छुट:**

आयु संगणना तिथि : **01.01.2022**

सभी वर्गो में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी तथा अजा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व. (नॉन-क्रीमी लेयर) वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की की छुट रहेगी।

(स) **पिछला प्रशिक्षण:**

उपरोक्त पदों हेतु उन्हीं उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार किये जावेंगे जिन्होंने अप्रेंटिस एक्ट 1961 यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत् किसी भी शासकीय / अर्ध-शासकीय / अशासकीय संस्थान अथवा सार्वजनिक क्षेत्र से पूर्व में प्रशिक्षण नहीं लिया हो।

(द) उम्मीदवारों द्वारा स्नातक / डिप्लोमा उत्तीर्ण किये **03 वर्ष** से कम हो। इस हेतु उम्मीदवार को निर्धारित प्रारुप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. **प्रशिक्षण में आरक्षण:** अजा./अ.ज.जा./अ.पि.व. वर्ग के लिए आरक्षण अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं यथा संशोधन के प्रावधानों के आधार पर रहेगा।

3. **प्रशिक्षण:** चयनित प्रशिक्षुओं को म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल के विभिन्न कार्यालयों/वृत्तों में 1 वर्ष का मैदानी प्रशिक्षण कंपनी के अधीनस्त कार्यालयों में प्रदान किया जावेगा।

4. **चयन प्रक्रिया:** उम्मीदवारों का चयन उनकी शाखा में प्राप्तांकों की प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।

5. **शिष्यावृत्ति:** स्नातक अप्रेंटिस को रुपये 9000/– प्रतिमाह तथा तकनीकी अप्रेंटिस को रुपये 8000/– प्रतिमाह शिष्यावृत्ति प्रदान की जावेगी।

6. **आवेदन करने की प्रकिया:**

   i. आवेदन ***portal.mhrdnats.gov.in*** की वैबसाइट मे रजिस्टर/एनरोल कराएं। यहाँ रजिस्टर/एनरोल करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन स्वीकृत नही किया जावेगा।

   ii. योग्य इच्छुक उम्मीदवार आवेदन पत्र कंपनी की वैबसाइट ***https://portal/mpcz.in/web/*** से डाउनलोड कर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेन्टर, दीक्षा भवन, गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.)–462023) में दिनांक **31.12.2022** को सांय **5:30** बजे तक निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित छाया प्रतियों सहित डाक से अथवा स्वयं प्रस्तुत कर सकते है।

      - डिग्री/डिप्लोमा का प्रमाण पत्र/ अंकसूची।
      - जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
      - मूल निवासी प्रमाण पत्र।
      - 10 वीं क्लास/ एस.एस.सी./मेट्रिक्यूलेशन की अंकसूची।
      - बारहवीं की अंकसूची।
      - फोटो आई.डी. एंव गृह पता का प्रमाण।
      - छ।ज़े का 16 अंकों का एनरोलमेंट कमांक।
      - शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
      - पासपोर्ट साईज फोटो–3 नग।
      - स्टाम्प साइज फोटो–2 नग।

7. **सामान्य नियम शर्तें:**

   i. अभ्यर्थी कृपया यह सुनिश्चित कर लें, कि वे शिक्षुता के लिये आवश्यक योग्यता रखते है तथा उनके द्वारा दी गई सभी जानकारियां सही है।

   ii. यदि चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि, अभ्यर्थी निर्धारित आर्हताओं को पूरा नही करते है और कंपनी की आवश्यकताओं पर खरे नही उतरते है अथवा उन्होंने कोई भी जानकारी छुपाई है तो तत्काल प्रभाव से उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया जावेगा एवं प्रशिक्षण समाप्ति जैसी सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

   iii. अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) कृपया अपनी श्रेणी ध्यानपूर्वक भरे, चूंकि बाद में उनके द्वारा भरी गई कोई भी जानकारी किसी भी परिस्थिति में बदली नही जायेगी।

   iv. विज्ञापन के आधार पर किये गये आवेदन पर किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही का निराकरण शिक्षुता अधिनियम 1961 एवं इसके संशोधन के प्रावधानुसार किया जावेगा।

   v. प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण समाप्त होने पर म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि., भोपाल द्वारा न तो कोई नियुक्ति देने की बाध्यता होगी और न ही शिक्षुओं को प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत नियोक्ता के पास कार्य करने की बाध्यता होगी।

vi. आवेदक अपना आवेदन एवं सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित/सत्यापित/स्वयं सत्यापित/हस्ताक्षरित प्रतिलिपियों के साथ प्रेषित करें। आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रूटिपूर्ण /असत्य जानकारी देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

vii. प्रशिक्षुओं का चयन स्नातक/डिप्लोमा में प्राप्तांकों की प्रवीण्य सूची के आधार पर किया जावेगा।

viii. विद्युत कार्य हानिकारक होने के फलस्वरूप दिवयांग अभ्यर्थियों हेतु कोई भी पद आरक्षित नहीं हैं।

ix. किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक (पी. डी.टी.सी.) के पास सुरक्षित रहेगा।

x. म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. भोपाल को बिना पूर्व नोटिस या कारण बताए, चयन प्रक्रिया को रद्द करने/सीमित करने/बढ़ाने का अधिकार होगा।

xi. चयन न होने की स्थिति में उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पत्राचार या पूछताछ स्वीकार नही किया जावेगा।

xii. किसी भी योग्य व पात्र आवेदक का अंतिम चयन चिकित्सा फिटनेस जो की मेडिकल बोर्ड अथवा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया हो, के आधार पर किया जावेगा।

xiii. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों की रिक्तियाँ अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकेंगी। इसके पश्चात भी अगर कोई पद रिक्त रहता है, तो वह रिक्तियाँ अनारक्षित अभ्यर्थी द्वारा भरी जा सकेंगी।

xiv. स्नातक/तकनीकी अप्रेंटिस की रिक्तियों में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने की स्थिति में उक्त रिक्तियों को अन्य उपलब्ध स्नातक/तकनीकी अप्रेंटिस द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी कर भरा जावेगा।

xv. प्रशिक्षुओं को आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

नोटः चयनित अप्रेंटिस को प्रशिक्षण पश्चात नौकरी की पात्रता नहीं होगी एवं मात्र एक वर्ष का अप्रेंटिस प्रशिक्षण प्रदान किया जावेगा।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

निदेशक (पी.डी.टी.सी.)
भोपाल